न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

मामला सं. 395 और वर्ष 2018

मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक फूलचन्द सैनी पंजी. कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, गणपतपुरा वाया मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

..... आवेदक

विषयः– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 04/6/18

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:–

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल हैक्ट. में	किस्म जमीन	स्वामित्व
तहसील–सागांनेर जिला–जयपुर	महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला	1002	1.54	जाव ए चाही ए	**मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. पंजी. कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, गणपतपुरा वाया मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।**
		1003	0.64	चाही ए	
		1004	0.47	चाही ए	
		1005	0.05	गै.मु. चाह	
		1006	0.24	चाही ए	
		1007/1	0.012	चाही ए	
		कुल किता 6	कुल रकबा 2.952 हैक्ट.		

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर कृषि **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरवाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1002 रकबा 1.54 हैक्ट. ख.नं. 1003 रकबा 0.64 हैक्ट. ख.नं. 1004 रकबा 0.47 हैक्ट. ख.न. 1005 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 1006 रकबा 0.24 हैक्ट. ख.नं. 1007/1 रकबा 0.0120 हैक्ट. कुल किता 6 कुल रकबा 2.952 हैक्ट. भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
7. यह निर्णय स्थानीय प्राधिकारी (सचिव, जविप्रा, जयपुर) की अनुमति के पश्चात् जारी किया जा रहा है।
यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 04-6-18 को पारित किया गया।

(भागीरथ हावा)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–11/2018/D-1982 दिनांक 04/6/18

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी–

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. **प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र को उनके पंजीयन कमांक 332848 दिनांक 10.5.18 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।**

(भागीरथ हावा)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

मामला सं. 419 और वर्ष 2018

बाबुलाल, मदन लाल, गजानन्द, कानाराम पुत्रान् मोती, नाथी देवी पत्नी मोती एवं ज्यानादेवी पत्नि नाथू जाति बैरवा सा.देह.

..... आवेदक

विषयः– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 25/9/18

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है–

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल हैक्ट. में	किस्म जमीन	स्वामित्व
तहसील सांगानेर जिला जयपुर	महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला	955	0.23	बारानी ए	बाबुलाल, मदन लाल, गजानन्द, कानाराम पुत्रान् मोती, नाथी देवी पत्नी मोती एवं ज्यानादेवी पत्नि नाथू जाति बैरवा सा.देह.
		954	0.31	वाही ए जाव ए	
		953	0.57 हैक्ट. मे से रकबा 0.49 हैक्ट.	वाही ए	
		कुल किता 3	कुल रकबा 1.03 हैक्ट.		

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम **महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 955 रकबा 0.23 हैक्ट. ख.नं. 954 रकबा 0.31 हैक्ट. ख.नं. 953 रकबा 0.57 हैक्ट. में से रकबा 0.49 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 हैक्ट.** भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
7. यह निर्णय स्थानीय प्राधिकारी (सचिव, जविप्रा, जयपुर) की अनुमति के पश्चात् जारी किया जा रहा है।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 25/9/18 को पारित किया गया।

(बिरदी चन्द मंगवाल) अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक 25/9/18

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–11/2018/डी–3298
प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी
1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।

(बिरदी चन्द मंगवाल)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।